आवेदन पत्र

परिषद के अधीन कार्यरत अधिकारियो/कर्मचारियो के लिये किराया पद्धति पर आवास आवंटन हेतु प्रार्थनापत्र (संपूर्ण प्रविष्टियॉ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भरी जायेगी)

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम..पदनाम....................................
2. परिषद में नियुक्ति का दिनांक...वर्तमान वेतनमान.....................................
3. वर्तमान वेतन/मौलिक वेतन/विशेष वेतन/पर्सनल वेतन...
   (यदि कोई अन्य उपलब्धियॉ वेतन परिधि में आती हो तब उसका उल्लेख किया जाये)
4. जन्मतिथि................................नगर मे निवास की तिथि...
5. नगर जहॉ भवन चाहते है...श्रेणी/टाईप डिजाईन...............................
6. क्या नगर में समीपस्थ आपके/अपने परिवार के सदस्य के नाम या आश्रित के नाम कोई भवन है अथवा नही ....
7. क्या प्रार्थी के नाम जिलाधिकारी/नगर निगम द्वारा कोई आवास आवंटित है. ....
   (अथवा उनके परिवार में कोई सदस्य प्रश्नगत आवासो मे रह रहा है तब उसका विवरण दे)
8. प्राथमिकता का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

   अ— स्थानान्तरण कहॉ से ....कहॉ को..................................

   आदेश संख्या—..दिनांक.......................................

   ब— अनुसूचित जाति/जनजाति ....
9. पूर्व में आवंटित स्टाफ भवन संख्या .... (यदि कोई हो तो)
10. प्रार्थी द्वारा आवास आवंटन हेतु दिया जाने वाला घोषणापत्र :—

क. मै प्रमाणित करता हूॅ कि उपरोक्त दी गई सूचना वास्तविकता पर आधारित है यदि भविष्य में उपरोक्त सूचनाओ में से किसी में कोई त्रुटि पाई जाये तो मेरे विरूद्ध किसी भी कार्यवाही हेतु मै सहमत हूॅ।

ख. वर्तमान नगर में स्थानान्तरण हो जाने अथवा निवृत्ति/त्यागपत्र अथवा अन्य कारणो से कार्यभार छोड़ने के एकमाह के अंदर स्टाफ क्वार्टर भवन को अवश्य खाली कर दूॅगा और ऐसा न करने की दशा में आवंटित भवन पर प्रचलित बाजार दर से दुगुने अथवा जो भी किराया परिषद निर्धारित करेगी वह किराया मुझसे वसूल कर लिया जाय ।

ग. स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त अथवा अन्य कारणो से परिषद कार्यभार छोड़ने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर मै इसकी सूचना स्वयं परिषद के प्रशासन अनुभाग को तथा सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय को लिखित रूप से दूगॉ।

घ. भवन का किराया परिषद द्वारा निर्धारित दरो पर प्रतिमाह मेरे वेतन से काट लिया जाय यदि किसी कारणोवश उक्त अनुसार वसूली संभव न हुई तब ऐसी दशा में प्रत्येक माह मै स्वयं स्टाफ क्वार्टर का किराया अदा करूॅगा और यदि ऐसा नही किया गया अर्थात मै जमा नही किया और मेरे वेतन से कटौती नही हुई तब उक्त किराए की वसूली भू—राजस्व की भॉति मेरे चल—अचल सम्पत्ति से करने हेतु परिषद अधिकृत होगी।

ड. मै अपने वेतन बढ़ोत्तरी तथा वार्षिक वेतन वृद्धियो आदि की सूचना समयान्तर्गत तिथि सहित कार्यालय को सूचित करता रहूॅगा।

च. उपरोक्त के अतिरिक्त मुझे स्टाफ क्वार्टर आवंटन की वह सभी शर्त एवं प्रतिबन्ध स्वीकार होगें जो भवन आवंटन के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा समय—समय पर लगाये जायेगे।

अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

नाम/पदनाम....................................

कार्यालय का नाम ....

अग्रसारण अधिकारी की संस्तुति